न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 81 आर 15/06–07

राम उरॉव वगैरह — अपीलकर्ता

बनाम

अर्जुन साहु वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

30
12.05.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 885/03–04 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 6.09.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के अंतर्गत दाखिल आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
हेहल	14	80	90 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में अपीलकर्ता के पूर्वज राम उरॉव वगैरह के नाम से दर्ज था। राम उरॉव को छोड़कर शेष सभी खतियानी रैयतों की निःसंतान मृत्यु हो गयी। वर्तमान अपीलकर्ता राम उरॉव के पोता हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने छल प्रपंच से प्रश्नगत भूमि को बर्ष 1985 में हड़प लिया है एवं जाली कागजात बना लिया है। जमीन वापसी हेतु अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें सिर्फ सुधा सिंह उपस्थित हुई एवं उसने जवाब दाखिल किया। अन्य प्रतिवादी निम्न न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी विवादित जमीन धारा 49 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर हासिल करने का दावा करते हैं। परन्तु वास्तव में प्रतिवादी अथवा उनके विक्रेता को उक्त प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुआ था। अपील आवेदन में आरोप लगाया गया है कि निम्न न्यायालय ने भूमि

के छल प्रपंच से हस्तांतरण के विन्दु पर सम्पूर्ण जॉच किये बिना अपीलकर्ता का आवेदन अस्वीकृत कर दिया। धारा 49 के अंतर्गत हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त की सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 उपस्थित नहीं हुए जबकि स्थानीय समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन किया गया। अतः वाद को इन दोनों के विरुद्ध एकपक्षीय घोषित किया गया। अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 का बहस सुना गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय में अर्जुन साहु एवं महेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित नहीं हुए। रामइकबाल मेहता ने जवाब दाखिल नहीं किया। चंद्रशेखर ने उपस्थित होकर बताया कि विवादित जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है। सुधा सिंह निम्न न्यायालय में उपस्थित हुई एवं जवाब दिया कि वह 10 कट्टा जमीन पर दखलकार है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि रामइकबाल मेहता के संबंध में आर आर डी ए का निष्कर्ष है कि उनका मकान खेसरा संख्या 80 में बना हुआ है परन्तु किसी प्रकार का कागजात नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि सुधा सिंह ने दस कट्टा जमीन खरीदा है पर 20 कट्टा पर दखलकार है। महेंद्र प्रताप सिंह ने पक्का मकान बना लिया है तथा अर्जुन साहु का मकान पक्का नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि इस मामले का निष्पादन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 के तृतीय परन्तुक के अंतर्गत किया जाय।

प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने सुन्दर उरॉव से 1965 में एकरारनामा के माध्यम से जमीन प्राप्त कर मकान बनाया है। वाद संख्या 5335 आर 27/2005–06 द्वारा उनके नाम से दाखिल खारिज भी हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने बताया कि धारा 49 के अंतर्गत अनुमति 3.00 एकड़ जमीन के लिए ललन सिंह को प्रदान की गयी थी पर उसने 1.25 एकड़ जमीन खरीदी। बाद में उसने दिनांक 8.7.1969 एवं 2.6.1970 को यह जमीन विजय सिंह एवं प्रियदर्शिनी सिंह को दान कर दिया। विजय एवं

प्रियदर्शिनी ने 19 कट्टा 10 धुर जमीन 1992 में चित्रा सिंह को बिक्री किया एवं 10 कट्टा जमीन रश्मि भूषण वो निवेदिता भूषण को हस्तांतरित किया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख और वर्तमान अपील वाद के कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज दिखाये गये और अपना पक्ष भी रखा गया लेकिन वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1,2,3 न तो निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही कोई प्रमाण दिखाया।

वर्तमान न्यायालय द्वारा नोटिस देने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 राम एकबाल महतो उपस्थित हुए। उनके अधिवक्ता ने बताया कि खतियानी रैयतों से 1965 में 2 कट्टा 11 छटॉक रकबा का एकरारनामा हुआ और उसी आधार पर मकान बनाकर रहते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुन साहु और प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र प्रताप सिह न तो निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही वर्तमान अपीलीय न्यायालय में। इन दोनों के संदर्भ में "हिन्दुस्तान" दैनिक में दिनांक 11.3.2008 को एक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया लेकिन 19.3.2008 को निर्धारित तिथि पर और उसके बाद 7.4.2008 को भी उपस्थित नहीं हुए।

निम्न न्यायालय में एक अन्य विपक्षी चन्द्रशेखर सिह भी पक्षकार बनाये गये थे लेकिन उपस्थित होकर उन्होंने भूमि से किसी प्रकार का संबंध होने से इंकार कर दिया।

अतएव सभी दस्तावेजों को देखने और सम्बन्धित पक्षों का बहस सुनने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि विविध वाद संख्या 119 आर 8 II बर्ष 1958–59 में 1.11.1958 को उपायुक्त रॉची द्वारा मौजा– हेहल, खाता– 14, खेसरा–80, रकबा– कुल 4.58 एकड़ में से 3.00 एकड़ के अन्तरण की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत दिया। इस वाद में खतियानी रैयतों को एल. पी. सिंह, एम. के. सिंहा और एस सिंह को बेचने की अनुमति मिली।

प्रतिवादी संख्या 4 सुधा सिंह को रश्मि भूषण और निवेदिता भूषण ने हस्तांतरित किया जिन्हें चित्रा सिंह ने 1992 में 19 कट्टा 10 धुर बेचा था। चित्रा

सिंह को 1969 और 1970 में विजय सिंह और प्रियदर्शिनी सिंह ने निबंधित वसीका से हस्तांतरण किया। ये दोनों ललन सिंह के पुत्र और पुत्री थे और ललन सिंह को उपायुक्त की अनुमति के पश्चात खतियानी रैयत ने हस्तांतरित किया था।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान प्रतिवादी संख्या 4 के संदर्भ में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के अंतर्गत वाद संधारणीय नहीं है क्योंकि भूमि का अंतरण वैध था और अनुमति के पश्चात उसका निबंधन हुआ था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के संदर्भ में वैध हस्तांतरण का कोई प्रमाण नहीं है। अतएव उनके पक्ष में निम्न न्यायालय द्वारा किया गया आदेश निरस्त किया जाता है और अंचल अधिकारी, रॉची शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष को संरचना सहित कब्जा दिला दें। अपील आंशिक स्वीकृत।

दिनांकः— 12.05.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0 / —

अपर समाहर्ता,
रॉची।